10/7/2

24/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील आयपक्ष उप० बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 31/07/25 को पेश हो।

31/07/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस धारा 212 RP Act सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अपी० प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम गाडिया तहसील सुनेल की आराजी ख० नं० 610 रकबा 5.2103 hac भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 4/48 की खातेदार व कब्जेधारी है प्रार्थीगण के पति/पिता श्री राधेश्याम की मृत्यु होने पर अप्रार्थीगण का ... पर डी गई थी लेकिन वसीयत ... अप्रार्थीगण का कोई सम्बंध नहीं होने पर भी जबरन कब्जा करने पर आमादा है और पांती की नारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड ... झालावाड़ जिला ...

Scanned with OKEN Scanner

को भी भुगतान नहीं कर रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है।

प्रा० अप्रार्थीगण द्वारा बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थीगण ने ना तो प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा किया है और ना ही कभी पांती पर ली है। सवरन व सरासर झूठा वाद पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण स्वयं ही काबिज है।

उभयपक्ष की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गाडिया तहसील बुनेल की बाड़ग्रस्त आराजी ख० नं० 610 की जमाबंदी संवत 2074-77 के अनुसार प्रार्थीगण समुचित रूप से हिस्सा 1/48 व 1/12 के recorded co-tenants है और अप्रार्थीगण की कोई खातेदारी दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्र० पत्र में स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने ना तो कोई कब्जा किया है और ना ही पांती पर ली है। प्रार्थीगण ने पांती पर खेत दिये जाने व अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा करने का कोई भी साक्ष्य (evidence) पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:35 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त [illegible] आधार पर प्रार्थीगण का [illegible] धारा 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को तात्कालिक मुलवाड़ पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की शामलाती भूमि में सिर्फ

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
हिस्से पर बिना विधिक प्राधिकार के कब्जा नहीं करे। पत्रावली फैसलानुसार होकर मूलवाद के साथ शामिल हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

31/7/25

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.07 18:07:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner